न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाप, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी-महावीरसिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. बिदामी पत्नि किशनाराम 2. निरमा पत्नि फरसाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम नेवा तहसील बाप जिला जोधपुर।		01. राज्य सरकार जरिये तहसलदार, बाप 02. जगराम पुत्र गणेशराम 03. खेराजराम पुत्र गणेशराम 04. बागाराम पुत्र गणेशराम 05. जवरीलाल पुत्र गणेशराम 06. परमूड़ी पत्नि हपाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम सा0 जाजीवाल कला जिला जोधपुर 07. रामकुमार पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी सांवतसर जिला गंगानगर 08. मीरा देवी पत्नी सुरताराम 09. मोहनलाल पुत्र तेजाराम अप्रार्थी सं. 9 नाबालिग जरिये कु. वली दादी मीरा पत्नी सुरताराम 10. सुरताराम पुत्र कोशलाराम 11. तेजाराम पुत्र सुरताराम 12. मांगीलाल पुत्र सुरताराम 13. अनोपाराम पुत्र तेजाराम 14. सोहनलाल पुत्र तेजाराम अप्रार्थी सं. 14 नाबालिग कु. जरिये कुदरती वली दादा सुरताराम पुत्र कोशलाराम जाति विश्नोई निवासी सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर 15. किशनाराम पुत्र लालूराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तह. बाप 16. मनोहरराम पुत्र बगड़ूराम जाति विश्नोई निवासी लक्ष्मणनगर तहसील फलोदी जिला जोधपुर 17. रूगनाथ पुत्र धूड़ाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप 18. लेखाराम पुत्र सुरताराम जाति विश्नोई निवासी भोजासर तहसील फलोदी 19. रतनाराम पुत्र धूड़ाराम 20. परमेश्वरी पत्नि रतनाराम 21. भागीरथराम पुत्र सुण्डाराम

उपखण्ड अधिकारी बाप

22. बनवारीलाल पुत्र सुण्डाराम
21. राजाराम पुत्र सुण्डाराम जाति विश्नोई
निवासी भोजासर तह0 फलोदी
22. खमूराम पुत्र बगडूराम जाति विश्नोई
निवासी नेवा त0 बाप जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 149/2019

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. अप्रार्थी सं. 1 सरकारी पैरोकार स्वंय उपस्थित
3. श्री रविन्द्रसिंह भाटी अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 2 ता 6, 8 ता 16 की ओर से
4. अप्रार्थीगण सं. 7, 17 ता 22 की ओर उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक :– 18/8/20

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है जिसका संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 156 रकबा 29–09 बीघा व अप्रार्थी सं. 22 की खातेदारी की भूमि 156/12 रकबा 25–00 बीघा भूमि सहरद मौजा नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। उक्त भूमि के मूल खातेदरों द्वारा समय–समय पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 2 ता 22 को अलग–अलग बैचान किये। बैचान अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 2 ता 22 के खाते राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में पटवारी हल्का द्वारा अलग–अलग खाते कायम किये। उक्त भूमि को लेकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 22 ने कभी भी बंटवाड़ा नहीं किया है और न ही प्रार्थीगण ने तरमीम बाबत किसी प्रकार की कोई सहमति दी है। लेकिन पटवारी हल्का ने सरासर गलत तरीके से एवं बिना किसी विधिक आदेश के एवं प्रार्थीगण को सूचित किये बगैर ही प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 156 रकबा 29–09 बीघा व अप्रार्थी सं. 22 की खातेदारी की भूमि 156/12 रकबा 25–00 बीघा भूमि की नक्शा ट्रेस में तरमीम अपनी मनमर्जी से प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 22 के कब्जा काश्त के वितरीत जाकर करदी।. उक्त तरमीम पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी विधिक आदेश के तरमीम कर दी है। पटवारी हल्का ने प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 22 को सूचित किये वगैर ही प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 22 के कब्जा काश्त के वितरीत जाकर वर्तमान नक्शा ट्रेस में सरासर गलत तरीके से गलत तरमीम करदी है जो विधि विरूद्ध है। इसलिये ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर के खसरा नम्बर 156 रकबा 29–09 बीघा व अप्रार्थी सं. 22 की खातेदारी की भूमि 156/12 रकबा 25–00 बीघा के नक्शा ट्रेस में की गई विधि विरूद्ध तरमीम को निरस्त किया जावे जिसका यह प्रार्थन पत्र पेश है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 स्वंय उपस्थित, अप्रार्थीगण सं. 2 ता 6 एवं 8 से 16 की से अधिवक्ता

उप खण्ड अधिकारी

रविन्द्रसिंह भाटी ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया, अप्रार्थीगण सं. 17 ता 22 बावजूद तामिल नोटिस हाजिर नहीं हुवे उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रर्थी सं. 1 सरकारी पैरोकार ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि प्रार्थीगण उक्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है वादग्रस्त भूमि वर्तमान में नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 22 के कब्जा काश्त अनुसार नहीं होने से तरमीम को दुरूस्त किया जाना उचित है, जो शामिल मिसल किये गये। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 156 रकबा 29—09 बीघा व अप्रार्थी सं. 22 की खातेदारी की भूमि 156/12 रकबा 25—00 बीघा भूमि सहरद मौजा नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। उक्त भूमि के मूल खातेदरों द्वारा समय—समय पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 2 ता 22 को अलग—अलग बैचान किये। बैचान अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 2 ता 22 के खाते राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में पटवारी हल्का द्वारा अलग—अलग खाते कायम किये। उक्त भूमि को लेकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 22 ने कभी भी बंटवाड़ा नहीं किया है और न ही प्रार्थीगण ने तरमीम बाबत किसी प्रकार की कोई सहमति दी है। लेकिन पटवारी हल्का ने सरासर गलत तरीके से एवं बिना किसी विधिक आदेश के एवं प्रार्थीगण को सूचित किये बगैर ही प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 156 रकबा 29—09 बीघा व अप्रार्थी सं. 22 की खातेदारी की भूमि 156/12 रकबा 25—00 बीघा भूमि की नक्शा ट्रेस में तरमीम अपनी मनमर्जी से प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 22 के कब्जा काश्त के वितरीत जाकर करदी। जो तथ्य पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 25/01/2020 से भी प्रमाणित है। इसलिये उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के कब्जा व काश्त की विपरीत नक्शा ट्रेस में की गई विधि विरूद्ध तरमीम को निरस्त किये जाने आदेश फरमावे।

अप्रार्थी सं. 1 सरकारी पैरोकार ने भी उपस्थित हो कर बताया की वर्तमान नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम प्रथम विक्रय पत्र में दर्शाई गई दिशा अनुसार नहीं होने से उक्त तरमीम को दुरूस्त किया जाना उचित है।

वकुलाय पक्षकारान् की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2072—2075, नक्सा ट्रेस, मौका रिपोर्ट दिनांक 25/01/2020 का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 156 रकबा 29—09 बीघा व अप्रार्थी सं. 22 की खातेदारी की भूमि 156/12 रकबा 25—00 बीघा भूमि सहरद मौजा नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर है, उक्त भूमि जमाबंदी में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम अलग—अलग दर्ज है जबकि नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 156 व 156/12 की ही तरमीम हो रखी है। नियमानुसार सभी खातेदारों की तरमीम उनके कब्जा अनुसार की जानी चाहिए थी।

लेकिन नक्शा ट्रेस में मात्र खसरा नम्बर 156 व 156/12 की तरमीम हो रखी है। खसरा न 156 व 156/12 के खातेदारों की कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस में तरमीम नही रखी है जो तथ्य मौका फर्द दिनांक 25/01/2020 एवं सराकारी पैरोकार के जवाब से स्पष्ट तथा सरकारी पैरोकार ने भी उक्त भूमि की तरमीम दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहस बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 156 रकबा 29-09 बीघा व खसरा नम्बर 156/12 र 25-00 बीघा भूमि के नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त के विपरीत की गई तरमीम निरस्त किये जाने का आदेश किये जाते है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश पालना क पत्रावली फैसल सुमार होकर, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/3/2020 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी बाप
उपखण्ड अधिकारी
बाप (जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी बाप, जिला जोधपुर (राज.)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh
Date: 2020.06.09 13:54:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: